



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक - एफ 3 (C)II()राईस / अका / आ वि प्रवेश / 2021 / 2136

जयपुर दिनांक 15/12/21


आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2040 दिनांक 02/12/2021 के द्वारा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई थी।

आवासीय विद्यालयों में प्रवेश समीक्षा की गई तथा तीन नये आवासीय विद्यालय संचालित होने के कारण प्रवेश शत प्रतिशत करने के लिए आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 की जाती है।

आवासीय विद्यालयों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जावेगी -

क्र स	जारी होने वाली सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
1	ग्यारहवीं सूची	31 दिसम्बर 2021


(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
राईस

क्रमांक - एफ 3 (C)II()राईस / अका / आ वि प्रवेश / 2021 / 2137-45
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

जयपुर दिनांक 15/12/21

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (संबंधित)।
5. संयुक्त निदेशक (I.T) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करने का श्रम करावे।
6. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
7. उपनिदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
9. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक, राईस